





न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
70/19	188, 183 RTA	साजौडा	दुर्गा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
मुस. नट्टी	बनाम	जोमदा	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
30/7/19	अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 188, 183 RTA आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 5/8/19 को पेश हो।	
5/8/19	आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 13/8/19 को पेश हो। 	
13/8/19	पत्रावली पेश हुई। वकील भाषी उपस्थित। प्रतिवादी गणों की ओर से श्री D.C. कुशवाह एडवो. द्वारा अपडर ट्रेडिंग पेश की है। वरते पत्रावली / अन्तर्गत भाषी पत्रावली दिनांक 17/9/19 को पेश हो।	 D.C. Kushwa 13/8/19
17/9/19	आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 22/10/19 को पेश हो। 	
22/10/19	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष भारत उपस्थित। पत्रावली नहीं हुआ। उभय-पक्ष हैं वरते पत्रावली दिनांक 20/11/19 को पेश हो।	


दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

वि.


28.8.24

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 2.9.24 को पेश हो।


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

2.9.24

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 3.9.24 को पेश हो।


रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

3.9.24

पत्रावली पेश हुई। वकालत फरीकें उपर/वकील वादी प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चलते है। वकील वादी ने Not press किया है। प्रकरण Not press में चारिज किया जा रहा है। पत्रावली फेराल शुभार होकर वाद वाफिल वकमील के सखिल सुपर हो।

Not Press
